महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26–07–2016 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26–07–2016 को अपराह्न 04:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 उमारानी त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 कृपा शंकर जायसवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय	–	सदस्य
4.	प्रो0 गोपाल प्रसाद नायक (प्रतिनिधि), संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
6.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–	सदस्य
7.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्र, संकायाध्यक्ष, चिकित्सा विज्ञान संकाय	–	सदस्य
8.	प्रो0 आर0 पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
9.	डॉ0 अवधेश सिंह, अध्यक्ष–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
10.	डॉ0 श्रीरंग नाथ मिश्र, महामंत्री–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण :–

1. श्री शमीम अहमद खाँ, उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन/अनुचित साधन प्रकोष्ठ
2. डॉ0 सुरेन्द्र नाथ सिंह, सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 की कार्यवृत्ति की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।**
कार्य सूची–02	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 के निर्णय संख्या–05(1) के अनुसार महाविद्यालयों से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 के निर्णय संख्या–5(1) में आरोपित परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालयों से उड़ाका दल की आख्या के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में उड़ाकादल की आख्या एवं उसके परिपेक्ष में प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त अधोलिखित निर्णय लिया गया :–** **(क) अधोलिखित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त उड़ाकादल की आख्या में चिन्हांकित किये गये प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का सामूहिक नकल की पुष्टि हेतु पुनः**

	परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। परीक्षक नामित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। **i.** विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया (630) **ii.** महाराजा सुहेलदेव महिला महाविद्यालय, गजियापुर, सेमरी, बलिया (639) **iii.** स्वामी रामनारायणाचार्य महिला महाविद्यालय, बिल्थरा रोड, बलिया (614) **iv.** कवलेश्वर राय महिला महाविद्यालय, वहुआरा, बलिया (6102) **v.** श्री रखन्त बाबा महाविद्यालय, अतरौली, करमौता, बलिया (627) **vi.** श्री राजनारायण महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–2, बलिया (678) **vii.** मु0शहबान मेमोरियल पी0जी0 कालेज, नगरा, बलिया (658) **(ख). उपरोक्त महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र/छात्राओं की परीक्षा अन्यत्र केन्द्र पर सम्पन्न हुई हैं। अतएव इन महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।** **(ग). उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के प्रभावित विषय/प्रश्नपत्र से सम्बन्धित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल छोड़कर शेष छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।** **(घ). बाबा सखरज स्मारक महाविद्यालय, जकरिया, रसड़ा, बलिया के सम्बन्ध में उड़ाकादल की आख्या और उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त सामूहिक नकल का दोषी मानते हुए अधोलिखित निर्णय लिया गया –** i. उक्त महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों तक परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। ii. महाविद्यालय पर रुपये तीन लाख का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया। iii. इस केन्द्र पर बी0ए0–द्वितीय खण्ड, समाजशास्त्र–द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित अनुक्रमांक–67716020015 के परीक्षार्थी का सम्पूर्ण परीक्षाफल एक वर्ष के लिए निरस्त करने के साथ ही शेष छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। iv. बाबा सखराज स्मारक महाविद्यालय, जकरिया, रसड़ा, बलिया में पंजीकृत छात्र/छात्राओं की परीक्षा अन्यत्र केन्द्र पर हो रही थी। इसलिए इन छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। **(ङ). रमाशंकर महाविद्यालय, कुशहाँ, रसीदपुर, बलिया के सम्बन्ध में प्राप्त उड़ाका दल की आख्या एवं उनके स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त आरोप का पर्याप्त आधार न होने के कारण दिनांक 01–04–2016 को प्रथम पाली में लगे नकल के आरोप से मुक्त करने के निर्णय के साथ ही इस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों एवं रमाशंकर महाविद्यालय, कुशहाँ, रसीदपुर, बलिया के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाय।** **(च). श्री नाथ बाबा जंगलीबाबा महाविद्यालय, जाम, बलिया परीक्षाकेन्द्र पर शिवराज स्मारक पी0 जी0 कालेज, रसड़ा ,रामपुर, बलिया के बी0 ए0 प्रथम खण्ड शिक्षाशास्त्र अनुक्रमांक–63616010712, 10704, 10613 एवं बी0एस0सी0–प्रथम खण्ड, रसायन विज्ञान, अनुक्रमांक–63616040349, 40372, 40318, 40379, 610516040165, 40177, 40189, 40192 परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षाफल एक वर्ष के लिए निरस्त करने के साथ ही शेष छात्र/छात्राओं एवं श्री नाथ बाबा**

	जंगलीबाबा महाविद्यालय, जाम, बलिया के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।
कार्य सूची–03	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 के निर्णय संख्या–05(2) के अनुसार महाविद्यालयों से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 के निर्णय संख्या–5(2) में जिन महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्र पर अनानुमोदित केन्द्राध्यक्षों/कक्ष निरीक्षकों से कार्य लिए जाने की शिकायत है, उनसे इस आशय का उल्लेख करते हुए कि इस कृत के लिए क्यों न आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाय, स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।)
निर्णय :	(क). रामानुज प्रताप महाविद्यालय, ड्रूमण्डगंज, मिर्जापुर से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उड़ाकादल की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र पर हुई अव्यवस्था एवं परीक्षा की सूचिता प्रभावित करने का आरोपी मानते हुए उक्त महाविद्यालय को आगामी तीन वर्ष तक के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। (ख). सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय, मुनारी, वाराणसी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उड़ाकादल की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त अनानुमोदित प्राध्यापकों से विश्वविद्यालय के पूर्वानुमति के बिना कक्ष पर्यवेक्षक का कार्य लिए जाने को अनुचित मानते हुए, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसकी चेतावनी देने का निर्णय लिया गया। (ग). जय प्रकाश स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उमरहॉ, वाराणसी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उड़ाकादल की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त अनानुमोदित प्राध्यापकों से विश्वविद्यालय के पूर्वानुमति के बिना कक्षपर्यवेक्षक का कार्य लिए जाने को अनुचित मानते हुए, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसकी चेतावनी देने का निर्णय लिया गया। (घ). स्वतंत्र श्री अनिरूद्ध महाविद्यालय, ताड़ीबड़ा गॉव, बलिया से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त केन्द्र को आरोपमुक्त करते हुए इस केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित श्री रंजीत कुमार बी0 ए0–प्रथम खण्ड, अनुक्रमांक 64916010183 को अपनी कापी फाड़ने के कृत्य को अनुशासनहीनता मानते हुए इनका सम्पूर्ण परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय लिया गया। (ङ). मॉ कलावती देवी महिला महाविद्यालय, बलिया से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त छात्राओं द्वारा लगाये आरोप की जांच हेतु एक जांच समिति के गठन के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। (च). आशा सिंह महाविद्यालय, शाहपुर, टिटिहा, किड़िहरापुर, बलिया से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उड़ाकदल की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त महाविद्यालय के केन्द्राध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा मांगे जाने पर अपनी आई0डी0 न दिखाना तथा फोटो खीचने से मना करना, प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी पुरानी कापियों का प्रयोग करना तथा अधिकृत व्यक्ति के स्थान पर चपरासी को नोडल केन्द्र से प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु भेजने के कृत्य को परीक्षा की सुचिता को प्रभावित करने वाला कृत्य मानते हुए रुपये तीन लाख का अर्थदण्ड लगाने एवं आगमी तीन वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित करने का निर्णय लिया गया।

	परीक्षा समिति द्वारा उक्त महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध मे मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये आदेश का अनुमोदन भी किया गया।
कार्य सूची–04	मूल्यांकन केन्द्र से मॉस कॉपी के सम्बन्ध में परीक्षकों से प्राप्त आख्या पर विचार।
निर्णय :	**(क). मूल्यांकन केन्द्र से प्राप्त परीक्षकों की उत्तर पुस्तिकों में सामूहिक नकल आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात् अधोलिखित निर्णय लिया गया :–** **i. केन्द्र कोड–658 मु0 शहबान मेमोरियल पी0जी0 कालेज, नगरा, बलिया पर परीक्षा में सम्मिलित कालेज कोड–625 के बी0 एस–सी0–प्रथम खण्ड, जन्तुविज्ञान–प्रथम प्रश्न पत्र (6321) की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।** **ii. केन्द्र कोड–643 जनता महाविद्यालय नगरा, बलिया पर परीक्षा में सम्मिलित बी0 ए0–द्वितीय खण्ड, गृह विज्ञान–प्रथम प्रश्न पत्र अनुक्रमांक–69216020001–69216020119 तक की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।** **iii. केन्द्र कोड–686 रमाशंकर महाविद्यालय, कुशहाँ, रसीदपुर, बलिया पर परीक्षा मे सम्मिलित कालेज कोड–625 के बी0 एस–सी0 प्रथम खण्ड, जन्तु विज्ञान–द्वितीय प्रश्न पत्र (6322) की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।** **(ख). सम्बन्धित विषय/प्रश्न पत्र के परीक्षार्थियों को छोड़कर शेष परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–05	परीक्षार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में महिला कक्ष निरीक्षक के विरूद्ध अश्लील टिप्पणी किए जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रो0 प्रदीप कुमार पाण्डेय, समन्वयक–मूल्यांकन केन्द्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन के पत्र पर विचार।
निर्णय :	**अनुक्रमांक–14716020211 द्वारा बी0 ए0–द्वितीय खण्ड, भूगोल–द्वितीय प्रश्न पत्र की अपनी उत्तर पुस्तिका में महिला कक्षनिरीक्षक के विरूद्ध अश्लील टिप्पणी लिखने के कृत्य को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए उक्त परीक्षार्थी का पंजीकरण विश्वविद्यालय से निरस्त करते हुए सदा के लिए किसी भी परीक्षा से वंचित करने के साथ ही उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय की ''यौन उत्पीड़न समिति'' को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–06	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध मौखिकी सम्पन्न होने के उपरान्त अधोलिखित शोधार्थियों को उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार।
निर्णय :	**अधोलिखित शोधार्थियों को पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :–**

विषय :– हिन्दी

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री प्रीति सिंह PRITI SINGH	प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप	शिवप्रसाद सिंह के उपन्यासों में सामाजिक सरोकार	17–05–2016

विषय :– इतिहास

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री नसरीन NASREEN	प्रो0 लक्ष्मी शंकर उपाध्याय	गुप्तकालीन अभिलेख और कला ऐतिहासिक अध्ययन	20–06–2016

विषय :– अंग्रेजी

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री अवधेश प्रजापति AWADHESH PRAJAPATI	प्रो0 अजीज हैदर	The Poetry of Nissim Ezekeil : A Study in Theme and Technique	10–06–2016

विषय :– राजनीति विज्ञान

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह PUSHPENDRA SINGH	प्रो0 सतीश कुमार	दल–बदल विरोधी अधिनियम 1985 के उपरान्त दल बदल की राजनीति : उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में	16–05–2016
2.	सुश्री ज्योति स्वर्णकार JYOTI SWARNKAR	प्रो0 सतीश कुमार	भारत की विदेश नीति : दक्षिण एशिया के विशेष सन्दर्भ में (2004 से 2013)	18–07–2016

विषय :– समाजशास्त्र

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री वन्दना सिंह VANDANA SINGH	डॉ0 बृजेश कुमार सिंह	महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता लाने में संचार माध्यमों की भूमिका	17–06–2016

विषय :– अर्थशास्त्र

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री सतीश सिंह यादव SATEESH SINGH YADAV	डॉ0 पारस नाथ मौर्य	गाजीपुर जनपद के सैदपुर विकास खण्ड के आर्थिक विकास में दुग्ध उद्योग का योगदान	19–05–2016
2.	श्री अरविन्द कुमार जायसवाल ARVIND KUMAR JAISWAL	प्रो0 मुन्नी लाल	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का सीमान्त कृषकों पर प्रभाव (इलाहाबाद जनपद के विशेष सन्दर्भ में)	11–06–2016
3.	श्री श्याम जी सोनकर SHYAM JEE SONKAR	प्रो0 मुन्नी लाल	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका (वाराणसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में)	11–06–2016
4.	श्री श्याम जन्म सोनकर SHYAM JANM SONKAR	प्रो0 श्रीमन पाण्डेय	चन्दौली जनपद के चकिया विकास खण्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में पंचायतों की भूमिका का अध्ययन	27–06–2016

कार्य सूची–07	स्ववित्तपोषित प्राध्यापकों से पी0जी0 (सेमेस्टर) उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयप्रकाश राय, डा0 ओमकार नाथ पाण्डेय एवं अन्य के हस्ताक्षरित पत्र पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्राध्यापकों की मांग को अमान्य करते हुए परीक्षा समिति के बैठक दिनांक 02–02–2013 के निर्णय संख्या–04 (अध्यक्ष की अनुमति से) के निर्णयानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–08	कामन वेल्थ गेम–2014 में वेट लिफ्टिंग में कास्य पदक विजेता सुश्री पूनम यादव के बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा की अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री पूनम यादव वर्ष–2012 में बी0ए0 प्रथम वर्ष, वर्ष–2012 में बी0ए0 द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण है। तीन वर्ष के अन्तराल के पश्चात बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है। परीक्षा के साथ–साथ यह प्रकरण बी0ए0 तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश से भी सम्बन्धित है।)
निर्णय :	**उक्त प्रकरण को प्रवेश समिति को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–09	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 के निर्णय संख्या–09 में श्री उत्कर्ष पाण्डेय, बी0काम0 तृतीय वर्ष को चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा बिना परीक्षा शुल्क लिए कराये जाने के निर्णय पर श्री पाण्डेय द्वारा पुनः दाखिल याचिका संख्या–33023/2016 के आलोक में पुर्नविचार।
निर्णय :	**श्री उत्कर्ष पाण्डेय के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा पुनः एक बार समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें श्री पाण्डेय के चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल में अनुपलब्धता के लिए प्रथम दृष्टया परीक्षा केन्द्र को दोषी मानते हुए रुपये पांच हजार का अर्थदण्ड लगाने तथा इस कृत्य में संलिप्त दोषी व्यक्तियों को चिन्हांकित करने हेतु एक समिति गठित करने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। साथ ही परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 के निर्णय संख्या–09 में श्री उत्कर्ष पाण्डेय, बी0 कॉम0–तृतीय वर्ष को चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा बिना परीक्षा शुल्क लिए कराये जाने के निर्णय को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–10	परीक्षार्थी द्वारा बी0ए0 तृतीय वर्ष–2016 के परीक्षा फार्म में समाजशास्त्र विषय भरने के पश्चात् संस्कृत विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण अवरूद्ध परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी कु0 जूली पुत्री श्री सभाजीत दूबे, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही के प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**सुश्री जूली पुत्री श्री सभाजीत दुबे द्वारा बी0 ए0–तृतीय खण्ड के परीक्षा फार्म में समाजशास्त्र विषय अंकित करने के पश्चात् संस्कृत विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के कृत्य को अनुशासनहीनता मानते हुए रुपये पांच हजार का अर्थदण्ड निरूपित करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राचार्य द्वारा छात्रा की अनुशासनहीनता की अनदेखी के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 को पत्र प्रेषित किया जाय।**
कार्य सूची–11	श्री राजकुमार सिंह, श्री रोहित कुमार वर्मा व अन्य का प्रार्थना पत्र जो वर्ष–2012 में निर्गत एम0एस–सी0 गणित के स्थान पर संशोधित कर एम0ए0 गणित का अंकपत्र निर्गत करने पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि वर्ष–2012 में उपरोक्त परीक्षार्थी श्री हरिश्चन्द्र

	महाविद्यालय, वाराणसी से एम0ए0 गणित (व्यक्तिगत) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए किन्तु उन्हें त्रुटिवश एम0एस–सी0 गणित (व्यक्तिगत) का अंक पत्र निर्गत किया गया है। जबकि एम0ए0 अन्तिम वर्ष में एम0ए0 गणित का अंकपत्र निर्गत किया गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा वर्ष–2012 एम0 एस–सी0–प्रथम वर्ष, गणित (व्यक्तिगत) के छात्रों का अंक पत्र संशोधित कर एम0 ए0–प्रथम वर्ष, गणित (व्यक्तिगत) का अंकपत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–12	बी0ए0 प्रथम वर्ष–2016 भूगोल प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्राचार्य, बसन्त राम नगीना पी0जी0 कालेज, चन्दौली के पत्र के साथ संलग्न सुश्री आयशा अरमिना, सुश्री चमन खातून एवं अन्य के प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**बी0ए0 प्रथम वर्ष–2016 भूगोल प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका की पुनः परीक्षण हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**
कार्य सूची–13	श्री आशीष कुमार गुप्त बी0एस0सी0 तृतीय खण्ड वर्ष–2012 के0बी0 पी0जी0 कालेज, मिर्जापुर का परीक्षाफल पुनरीक्षण के दौरान संज्ञान में आने पर अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने के फलस्वरूप परीक्षा समिति की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी द्वारा गणित तृतीय प्रश्न पत्र में आगामी बैक परीक्षा के साथ बैक पेपर की सुविधा प्रदान किए जाने का अनुमोदन।
निर्णय :	**श्री आशीष कुमार गुप्त, बी0 एस–सी0–तृतीय खण्ड, वर्ष–2012 के0 बी0 पी0 जी0 कालेज, मिर्जापुर के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान की गयी बैक पेपर की सुविधा का अनुमोदन किया गया।**
अध्यक्ष की अनुमति से –	
प्रस्ताव–14	याचिका संख्या–317/2016 ललित कृष्ण वोमेन इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में प्रबन्धक के पत्र दिनांक 18–07–2016 के प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रबन्धक ललित कृष्ण वोमेन इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन, इन्दरपुर, बलिया के प्रार्थना पत्र पर विचार कर समिति ने अधोलिखित निर्णय लिया–** **(क). ललित कृष्ण वोमेन इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन, इन्दरपुर, बलिया केन्द्र पर बी0एस–सी0 प्रथम खण्ड गणित द्वितीय प्रश्न पत्र के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में सामूहिक नकल का लाभ उठाने वाले को चिन्हांकित करने हेतु पुनः परीक्षण कराने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।** **(ख). उत्तर पुस्तिका में सामूहिक नकल सिद्ध न होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।** **(ग). परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03–06–2015 के निर्णय संख्या–6(1) के निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र पर लगाये गए अर्थदण्ड को यथावत रखते हुए 15 दिन के अन्दर जमा न करने की स्थिति पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–05–2016 के निर्णय संख्या–06 के अनुसार महाविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया को प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।**

प्रस्ताव–15	श्री कमलेश सिंह पुत्र श्री नागेश्वर सिंह बी0एड0 सत्र 2013–14 अनुक्रमांक–12414701161 सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गहनी, वाराणसी का अस्वस्थता के कारण द्वितीय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**बैंक पेपर की नियमावली के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम उत्तीर्णांक महायोग 40% एवं एक प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहने पर उस प्रश्न पत्र में बैक की सुविधा प्रदान करने का प्राविधान है। किन्तु श्री कमलेश सिंह का उत्तीर्णांक महायोग 40% से कम है। अतएव इन्हें विशेष परिस्थिति में रू.2000/–शुल्क जमा कराकर बी0एड0 की पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**
प्रस्ताव–16	काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही के स्नातकोत्तर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का छुटी हुई मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**रूपये दो हजार शुल्क जमा कराकर छुटी हुई मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया।**
प्रस्ताव–17	सुश्री प्रिया सिंह पुत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह एम0ए0 गृह विज्ञान द्वितीय खण्ड वर्ष–2014 डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, वाराणसी के परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**सुश्री प्रिया सिंह को जो रूपये दो हजार शुल्क जमा करने के पश्चात छुटी हुई प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो गई जबकि उन्हें लघु शोध प्रबन्ध जमा करना था। समस्त तथ्यों से अवगत होने के पश्चात परीक्षा समिति ने सुश्री प्रिया सिंह को जमा शुल्क के आधार पर लघु शोध प्रबन्ध जमा करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।**
प्रस्ताव–18	श्री सर्वेश कुमार एम0ए0 मनोविज्ञान प्रथम सेमेस्टर वर्ष–2014 अनुक्रमांक–10014200995 परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री सर्वेश कुमार एम0ए0 मनोविज्ञान प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों के सापेक्ष औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।**
प्रस्ताव–19	श्री राहुल सिंह यादव बी0काम0 तृतीय खण्ड सत्र 2014–15 डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, वाराणसी के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05–01–2016 के निर्णय संख्या–10 पर पुर्नविचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के बी0काम0 प्रथम एवं द्वितीय खण्ड का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलान करने हेतु प्रो0 कृपाशंकर जायसवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय को नामित करते हुए यह निर्णय लिया कि पाठ्यक्रम में 80% की समानता परीलक्षित होने की दशा में उदय प्रताप कालेज से श्री राहुल सिंह यादव के बी0काम0 प्रथम खण्ड–2012 एवं द्वितीय खण्ड–2013 का सम्पूर्ण प्रमाणित विवरण प्राप्त कर परीक्षाफल घोषित किया जाय।**

प्रस्ताव–20	सुश्री रोशिनी सिंह बी0एड0 सत्र 2013–14 मॉ खण्डवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली की छुटी हुई प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**रूपये दो हजार अर्थदण्ड लगाते हुए सुश्री रोशिनी सिंह की बी0एड0 की छुटी हुई प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई।**
प्रस्ताव–21	प्राचार्य, श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, वाराणसी (स्वायत्तशासी) एवं प्राचार्य, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी (स्वायत्तशासी) के पत्र, सत्र 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्गत अंकपत्रों के समरूप उपाधि प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि प्राचार्य, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी ने अवगत कराया है कि कालेज द्वारा विद्यार्थियों को सत्र 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013 तक अंकपत्र उदय प्रताप स्वायत्तशासी कालेज, वाराणसी (Udai Pratap Autonomous College, Varanasi) के नाम से निर्गत किया गया है तथा प्राचार्या, श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, वाराणसी (स्वायत्तशासी) ने अवगत कराया है कि छात्राओं को कालेज द्वारा सत्र 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013 में अंकपत्र श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, वाराणसी (स्वायत्तशासी) निर्गत किया गया है। उक्त दोनों कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–F-22-1/2008 AC दिनांक फरवरी, 2008 द्वारा सत्र 2012–2013 तक Autonomous Status प्रदान किया गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कालेजों द्वारा निर्गत अंकपत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपाधि में एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013 तक दोनों कालेजों को अधोलिखित नाम से उपाधि निर्गत की जाय :–** **1. श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, वाराणसी (स्वायत्तशासी)** **Shri Agrasen Kanya P.G. College, Varanasi (Autonomous)** **2. उदय प्रताप स्वायत्तशासी कालेज, वाराणसी** **Udai Pratap Autonomous College, Varanasi**
प्रस्ताव–22	स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से OMR पर कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति में परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव द्वारा एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा OMR पर कराये जाने के फलस्वरूप तत्काल परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की प्रगति एवं प्रदेश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से OMR परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त को संज्ञान में लेकर समिति ने समयबद्धता एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए एम0बी0ए0 के साथ–साथ अन्य सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के चतुर्थ/अन्तिम सेमेस्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से OMR पर परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिया।**

प्रस्ताव–23	सत्र 2015–16 की बैक परीक्षा योग्य छात्र/छात्राओं को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सत्र 2015–16 की बैक परीक्षा योग्य छात्र/छात्राओं को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करते हुए कि यदि बैक पेपर की परीक्षा में वह उत्तीर्ण होते है तभी उन्हें अगली कक्षा का परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति होगी अन्यथा की स्थिति में उनका अस्थाई प्रवेश निरस्त हो जायेगा। इस निर्णय का उल्लंघन करके अनुत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा फार्म अग्रसारित करने की दशा में महाविद्यालय पर अर्थदण्ड निरूपित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

ह0
कुलपति

पत्रांक : प0गो0/12895/परीक्षा समिति/2016

तद् दिनांक : 05 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सम्मानित सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव–परीक्षा सामान्य/अनुचित साधन प्रकोष्ठ।
6. सहायक कुलसचिव–परीक्षा सामान्य।
7. अधीक्षक–परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग/सम्बद्धता विभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवृत्त को सम्बन्धित व्यक्ति एवं जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

ह0
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक